न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 07/2017 अपील आर्म्स (RCMS/2017/00103)
पंजीयन दिनांक — 20.11.2017
निर्णय दिनांक — 01.04.2019

1. श्री गणपतलाल स्वर्णकार पुत्र श्री परसराम जी स्वर्णकार, मालिक गणपति फिलिंग स्टेशन, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री रोशनलाल जैन —अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री योगेन्द्र दशोरा —राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुरआदेश क्रमांक एफ.21/11( )आर्म्स/न्याय/शस्त्र/17/9522—बीदिनांक 02.08.2017

निर्णय

दिनांक 01.04.2019

अपीलान्ट द्वाराजिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ.21/11( ) आर्म्स/न्याय/शस्त्र/17/9522—बी दिनांक 02.08.2017के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है—

- अपीलार्थी श्री गणपतलाल स्वर्णकार द्वारा आत्मरक्षा एवं पेट्रोल पंप रक्षार्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर समक्ष नवीन शस्त्र हेतु आयुध अधिनियम के नियम 51 के तहत शस्त्र अनुज्ञा हेतु आवेदन पेश किया। अपीलार्थी ने आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ नियमानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किए।

- नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक की अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, उदयपुर से नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने से जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 02.08.2017 से प्रार्थी श्री गणपतलाल स्वर्णकार का आवेदन पत्र निरस्त किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश दिनांक 02.08.2017 से असंतुष्ट होकर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सुचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलार्थी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, नगर पालिका फतहनगर, सनवाड का पाषर्द रह चुका हैं। अपीलार्थी फतहनगर का स्थाई निवासी होकर गणपति फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप का मालिक/संचालक है। उक्त पेट्रोल पम्प मध्य रात्रि तक आमजनों के लिये चालु रहता है जहां प्रतिदिन अधिक नकद राशि का व्यवहार एवं उसका परिवहन होता है, आये दिन पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात का खतरा बना रहता है। प्रार्थी के स्वयं वहा पुरे दिन उपस्थित रहने से जान–माल का खतरा बना रहता है, जिससे उसे रक्षार्थ शस्त्र की आवश्यकता है। प्रार्थी के आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की जिससे जिला पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार मावली, उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा सकारात्मक रिपोर्ट पेश की गई। परन्तु सी.आई.डी. विशेष शाखा द्वारा कोई पुख्ता जांच नहीं की, न ही अपीलार्थी के व्यापार–पम्प व अन्य स्टेटस को देखा की जिसके लिए आत्म रक्षार्थ शस्त्र की आवश्यकता है और मात्र कम्प्यूटर पर देख नकारात्मक रिपोर्ट दी। जबकि जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा जांच उपरान्त पाया कि आवेदक योग्यताएं पुरी करता है। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा इस तथ्य की टिप्पणी अपने निर्णय में करने से पूर्व अपीलार्थी को नहीं सुना गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित जाकर वैधानिक त्रुटि है। ऐसी स्थिति मे निर्णय की जानकारी नहीं होने से अपील पेश करने में विलम्ब हुआ जिसे क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का आदेश निरस्त कर प्रार्थी के नाम नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के आदेश प्रदान कराने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक की अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, उदयपुर से नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने से जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 02.08.2017 से प्रार्थी श्री गणपतलाल स्वर्णकार का आवेदन पत्र निरस्त किया, जो निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर, उप वन सरंक्षक, उदयपुर एवं तहसीलदार, मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी को आत्म रक्षार्थ लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा की एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र

जारी किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) जोन, उदयपुर द्वारा नकारात्मक टिप्पणी देने से पूर्व विधि सम्मत जांच किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा आवेदक को पेट्रोल पंप पर लेन–देन की नकदी का परिवहन करने से पंप एवं स्वयं की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने हेतु अनापत्ति जारी की गई। प्रार्थी श्री गणपतलाल स्वर्णकार में मामलें में आदेश दिनांक 02.08.2017 पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति जारी करने पर विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा सीआईडी जोन से उसके प्रकरण में पुनः जांच कराये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2016 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण में नये सिरे से पुनः जांच कर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का आदेश दिनांक 02.08.2017 प्रार्थी श्री गणपतलाल स्वर्णकार के प्रकरण की सीमा तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर, नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, गृह विभाग के निर्देशों का अवलोकन कर, इनकी पात्रता अनुसार नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official